भारतीय स्टेट बैंक बुलियन शाखा

स्वर्ण जमा योजना

(भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्रचित स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 के अनुसार)

यह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के परिवारों एवं संस्थाओं/मंदिरों/न्यासों के पास उपलब्ध अनुपयुक्त सोने को चयनित बैंकों में जमा किया जा सकता है। देश के विभिन्न केंद्रों की चयनित 70 शाखाओं के जरिए नोडल शाखा के रूप में भारतीय स्टेट बैंक अपनी बुलियन शाखा, मुंबई में इस योजना को कार्यान्वित करता है। इस योजना का सार नीचे दिया गया है।

जो ग्राहक स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत उक्त योजना में अपना सोना, आभूषण, सिक्के जमा करने के लिए इच्छुक हो, उन्हें चयनित शाखाओं में जाना होगा और जमाकर्ताओं द्वारा केवाईसी दस्तावेजों एवं योजना की शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकृति प्रति सहित विधिवत हस्ताक्षरित स्वर्ण जमा आवेदन फार्म मुंबई की नोडल शाखा अथवा किसी निर्दिष्ट शाखा में जमा करना होगा। ऐसी शाखाओं का विवरण भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में पैथ दिया गया है। जमा करने वाला व्यक्ति जमा के लिए नामिती को नामित कर सकता है।

सोने की शुद्धता की जांच हेतु उसे आग की कसौटी पर परखने के लिए ग्राहकों को अपने सोने की वस्तुओं (पत्थर एवं अन्य धातु को छोड़कर सोने के छड़, सिक्के, आभूषण) को बैंक द्वारा अनुमोदित एमएमटीसी–पीएएमपी के सीपीटीसी अथवा सरकारी टकसाल में जमा करना होगा।

जैसे ही सोने को सीपीटीसी/रिफायनर के पास सुपुर्द किया जाता है, तो उसकी शुद्धता एवं 995 शुद्धता में रिफ़ाइन किए हुए सोने के वजन की जांच करने के लिए उसे गला दिया जाता है और छड़ में परिवर्तित किया जाता है। जमाकर्ता को शुद्धता एवं मात्रा का प्रमाणपत्र दिया जाता है। आवेदन पत्र, स्वीकृत शर्तों एवं निबंधनों तथा अन्य दस्तावेजों के साथ इस प्रमाणपत्र को आगे भेजने के लिए ग्राहक द्वारा चुनी गई योजना के अनुरूप स्वर्ण जमा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मुंबई की नोडल शाखा को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ग्राहक द्वारा जमा किए गए सोने की मात्रा/ग्राम के बारे में भी उल्लेख करना होगा। बुलियन शाखा, मुंबई प्रमाणपत्र जारी करेगी और उसे या तो निर्दिष्ट शाखा के जरिए अथवा ग्राहक की अपेक्षा के अनुसार उसे सीधे भेज देगी।

वर्तमान में स्वर्ण जमा योजना के तीन रूप उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी रूप का चुनाव कर सकते हैं।

क्र	विवरण	अल्पावधि	मध्यावधि	दीर्घावधि
1	योजना की अवधि	1 से 3 वर्ष	5 से 7 वर्ष	12 से 15 वर्ष
2	जमा करने हेतु सोने की न्यूनतम/अधिकतम मात्रा	न्यूनतम : 10 ग्राम अधिकतम : कोई सीमा नहीं		
3	ब्याज दर	0.50% से 0.60% प्रति वर्ष	2.25% प्रति वर्ष	2.50% प्रति वर्ष
4	अवरुद्धता अवधि	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
5	समय-पूर्व दंड	0.15%	0.25% से 0.375%	0.25% से 0.375%
6	समय-पूर्व भुगतान	अवरुद्धता अवधि के बाद अनुमत, पर भुगतान केवल रुपयों में।		
7	ऋण सुविधा	उपलब्ध		
8	नवीकरण सुविधा	नवीकरण अनुमत है।		
9	पूर्व दिनांक से नवीकरण	अनुमत नहीं		
10	प्रतिमोचन	परिपक्वता पर।		
11	स्वर्ण/भारतीय रुपयों में प्रतिमोचन	ग्राहक जमा के समय विकल्प दे सकता है।		
12	अतिदेय अवधि के लिए ब्याज	अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।		
13	ब्याज भुगतान	गैर-संचयी जमा : प्रति वर्ष 31 मार्च को।		
		संचयी जमा : वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर पर ब्याज लगाया जाएगा और परिपक्वता के समय अदा किया जाएगा।		
14	ब्याज भुगतान के प्रयोजन से सोने का मूल्य	जमा करने की तारीख को सोने के काल्पनिक मूल्य पर ब्याज की गणना की जाएगी और संपूर्ण अवधि के लिए उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।		
16	क्या ब्याज का भुगतान स्वर्ण/रुपयों में किया जाएगा	केवल रुपयों में।		
17	नामांकन	वैयक्तिक जमा पर उपलब्ध।		
18	क्या वही सोने को वापस किया जाएगा अथवा नहीं?	प्रमाणपत्र में उल्लिखित मात्रा के अनुसार सोने को छड़ के रूप में वापस किया जाएगा।		
19	कर देयताएँ	इस योजना के अंतर्गत स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।		

और अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट देखें, जिसका पैथ नीचे दिया गया है : - https://www.sbi.co.in/web/personal-banking/investments-deposits/govtschemes/gold-banking/revamped-gold-deposit-scheme-r-gds अथवा दिनांक 5 अप्रैल 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.आईबीडी.क्रमांक 45/23.67.003/2015-16 देखें।

सोना जमा करने के बारे में किसी भी प्रश्न या संदेह के लिए कृपया 022-22627730, 022-22616005 पर एसबीआई बुलियन शाखा, मुंबई से संपर्क करें अथवा sbi.12002@sbi.co.in एवं gds.12002@sbi.co.in पर मेल भेजें।

SBI